

**अभियंता प्रमुख का कार्यालय,
ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना।
सकारण आदेश**

ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमण्डल, बगहा-1 के अधीन MR-3054 योजनान्तर्गत (1) बेतिया रामनगर रोड से सिक्टा भाया घोबनी रमौली एवं (2) पी0डब्लू0डी0 रोड नरवल से खिरिया तक पंचवर्षीय अनुरक्षण कार्य एकरारनामा के एकरारित अवधि तक लम्बित/अपूर्ण रखने के कारण संवेदक मेसर्स चन्द्र मोहन ओझा (निबंधन सं0-1180067), पता-सुप्रिया सिनेमा रोड, शान्ति नगर, पो0-बेतिया, थाना-नगर थाना, जिला- पश्चिमी चम्पारण, बेतिया, बिहार को विभागीय पत्रांक-2100 अनु0 दिनांक-16.07.2021 द्वारा निर्गत डिफॉल्टर सूची के क्रमांक-02 एवं 03 पर अंकित कर आगामी निविदाओं में भाग लेने से वंचित किया गया था।

उक्त विभागीय आदेश के आलोक में संवेदक द्वारा दायर रिट याचिका सी0डब्लू0जे0सी0 संख्या-14295/2022, मेसर्स चन्द्र मोहन ओझा बनाम राज्य सरकार एवं अन्य के मामले में माननीय पटना उच्च न्यायालय, पटना द्वारा दिनांक-30.09.2022 को न्यायादेश पारित किया गया है, जिसका कार्यशील अंश निम्नवत् है :-

“Vide current impugned order, the respondents have not assigned any reason, much less plausible, for having blacklisted/debarred the petitioner for an indefinite period. The principle of proportionality has not been considered. The effect of debarment entails both civil and penal consequences.

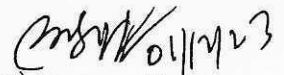
As such, on this short ground alone, the impugned order dated 16.07.2021, as contained in Letter No.2100 16.07.2021, passed by the Engineer-in-Chief, Rural Works Department, Government of Bihar (Annexure-4) is quashed and set aside.

At this stage, Shri Ashish Giri, learned counsel state that petitioner has already suffered a lot, inasmuch as he could not participate in any of the tenders invited by any one of the statutory authorities/instrumentality of the State.

The instant petition Stands disposed of in the aforesaid terms.

Interlocutory Application(s), if any, shall stand disposed of.

माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा CWJC No-14295/2022 में दिनांक-30.09.2022 को पारित न्यायादेश के अनुपालन में विभागीय पत्रांक-2100 अनु0 दिनांक-16.07.2021 के द्वारा याचिकाकर्ता संवेदक मेसर्स चन्द्र मोहन ओझा, (निबंधन सं0-1180067), पता-सुप्रिया सिनेमा रोड, शान्ति नगर, पो0-बेतिया, थाना-नगर थाना, जिला- पश्चिमी चम्पारण, बेतिया, बिहार को विभागीय डिफॉल्टर सूची के क्रमांक-02 एवं 03 पर सम्मिलित करते हुए आगामी निविदा में भाग लेने से वंचित किए जाने संबंधी आदेश को एतद् द्वारा निरस्त किया जाता है।



(अमरेंद्र कुमार सिन्हा)

अभियंता प्रमुख-सह-अपर

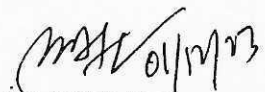
आयुक्त-सह-विशेष सचिव

/पटना, दिनांक:-04/12/23

ज्ञापांक:-14/अ0प्र0-02-239/2022

6877

प्रतिलिपि:-अपर मुख्य सचिव, प्रधान सचिव, सचिव, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना/भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना/जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना/लघु जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना/योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना/लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, बिहार, पटना/नगर विकास विभाग, बिहार, पटना/उर्जा विभाग, बिहार, पटना/कृषि विभाग, बिहार, पटना/पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना/अभियंता प्रमुख, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना/भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना/जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना/लघु जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना/लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, बिहार, पटना/प्रबंध निदेशक, बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम, बिहार, पटना से सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।



अभियंता प्रमुख-सह-अपर

आयुक्त-सह-विशेष सचिव

ज्ञापांक:-14/अ0प्र0-02-239/2022

6877

/पटना, दिनांक:-04/12/23

प्रतिलिपि:-सचिव, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना के आप्त सचिव/विशेष सचिव, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना/सभी मुख्य अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग/सभी अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग/सभी कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग/सभी नोडल पदाधिकारी (मु0), ग्रामीण कार्य विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(Signature) 04/12/23

अभियंता प्रमुख-सह-अपर
आयुक्त-सह-विशेष सचिव

/पटना, दिनांक:-04/12/23

ज्ञापांक:-14/अ0प्र0-02-239/2022

6877

प्रतिलिपि:-प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा-14/आई0टी0 मैनेजर, ग्रामीण कार्य विभाग, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।।

(Signature) 04/12/23

अभियंता प्रमुख-सह-अपर
आयुक्त-सह-विशेष सचिव

/पटना, दिनांक:-04/12/23

ज्ञापांक:-14/अ0प्र0-02-239/2022

6877

प्रतिलिपि:-संवेदक मेसर्स चन्द्र मोहन ओझा (निबंधन सं0-1180067), पता-सुप्रिया सिनेमा रोड, शान्ति नगर, पो0-बेतिया, थाना-नगर थाना, जिला- पश्चिमी चम्पारण, बेतिया, बिहार को सूचनार्थ प्रेषित।

(Signature) 04/12/23

अभियंता प्रमुख-सह-अपर
आयुक्त-सह-विशेष सचिव